

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

(11)

फर्द अहकाम

सु. नं 53/14 तारीख रजु 16.10.14

उत्तवान - चौथी बनाम चारि बैरवा
कनाणपुरा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेद्याज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुखानन्द शर्मा A-10
ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेद्याज्ञा पेश
किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया
गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर अणकीकृत
को चारि बैरवा से तहब कर दिनांक
11.11.14 को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (कोटली)

2455-57
17.10.14

11/14 प्रार्थी वकील उप। अणकीकृत 1, 2 की ओर से
श्री जाकिर खान Adv. ने वकालतनामा पेश
किया। अणकीकृत 3 बचतखत सूना उप नली
की P.O. सा. कोटली मीरिंग में पछोई कास
आगित्त आदेश दिनांक 10.12.14 को पेश हो।

10/12/14 वकालत उप। अणकीकृत 6.2 के विलुड एच
पक्षीय कारवाही के आदेश दिप जेत है। कोस
जवाब प्रति. 6.1 व 2 दि. 13.1.15 को पेश हो।

13/15 वकालत उपरियत/पीठासन अधिकारी समण पर पचोई
है। गतानुसार दिनांक 3.3.15 को पेश हो।

3/15 वकालत उपरियत/पीठासन अधिकारी कोटली मीरिंग
है। गतानुसार दिनांक 7-4-15 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
7 ⁴ / ₁₅	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी मीटिंग में पच्योर है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 12-5-15 को पेश हो।
12.5.15	प्रार्थी वकील उप/अप्रार्थी वकील व अप्रार्थी से कोर्ट उपस्थित नहीं की एक पक्षीपक्षी के मोर्चे दिखे जाते हैं। कस्ते बरस दिनांक 1-6-15 को पेश हो।
20 ⁷ / ₁₅	पत्रावली जनरल पेशी से पेश हुई। प्रत्यक्ष बरस पच्योर है। वकुलाय उपस्थित गताबुसार दिनांक 24-7-15 को पेश हो।
24.7.15	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील ने अपनी बरस में कथन दिया कि दादी एवं प्रतिवादीगण सहस्वतेदा काशरकप की मोर्के पक्ष विदिवत अमिऊ बंधारा नहीं होरता है। इसलिए दावा खसला होने तक प्रार्थी पत्र न. 1 स्वीकृत फामाया जावे। वकील प्रार्थी की बरस सुनी गई। पत्रावली का डायलॉग विदा। गुप्त कामालपुरा की अमि संप. नं. 920, 921

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम 2

फर्द अहकाम

922, 923, 924 कुल चिता 5 कुल रकम
3.48 हे० की खेतीदारी वादी एवं प्रतिवादीगण के
नाम संपुर्ण रूप से दर्ज है। संपुर्ण सहजित
को अह्वादी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना इमित
नहीं होता है।

कतः शर्त पत्र अह्वादी निषेधाज्ञा
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शमपु
हीमा नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ
संलग्न रहे।